आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश, कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

आर0ई0 वाद सं0– 24/2018–19

आवेदक– दागुम मरांडी

बनाम

विपक्षी– रोमन पंडित वगै0

आदेश

26.7.19

आवेदक दागुम मरांडी, पे0– स्व0 डोमन मरांडी, सा0–कल्याणी, पो0–महराजपुर, थाना– तालझारी जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये है। आवेदिका के आवेदन पत्र के अवलोकन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवही प्रारम्भ की गई, तथा आवेदन में वर्णित बिन्दओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
कल्याणी	15	452/234	03–02–18 के अन्दर 06 कट्ठा

आज विपक्षी के ओर से उनके पुत्र उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरुप उनके पुत्र को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के पुत्र ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र समर्पित करते हुए कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है जिस कारण आज मै शिविर न्यायालय में उपस्थित हूँ।विपक्षी ने कहा कि मौजा कल्याणी न0 15 बंगला महराजपुर ज0न0 15 दाग न0 452/234 कुल रकवा 03–02–18 धूर जमीन खतियान में आवेदक के दादा दगुम मरांडी, धानु मरांडी व चन्द्राय मरांडी के नाम से दर्ज है। वर्णित जमीन 03–02–08 धूर में से 06 कट्ठा जमीन जिसकी चौहदी उत्तर–आवेदक का नीज, दक्षिण–बन्दोबस्त रैयत, पूरब–एन0एच0 80, पश्चिम–आवेदक का नीज जमीन है। बिहार विशेषधिकृत व्यक्ति वास भूमि भू–धृति अधिनियम के अन्तर्गत मौजा कल्याणी अंचल+थाना–तालझारी में बेगु पंडित पिता–स्व0 भुकु पडित को खाता न0 15 खेसरा न0 234 रकवा 00–02–16 धूर एवं रोमन पंडित पिता–स्व0 बेगु पंडित को उक्त दाग न0 में ही 00–01–10 धूर जमीन पर केस संख्या–122/1974–75 के जरिये दिया गया है। इसकी सूचना मौजा के प्रधान को भी दिया गया है। सरकार के द्वारा बसोवास की जमीन निर्गत करने के पश्चात विपक्षी के पिता अपना मकान बनाकर शांतिपुर्ण ढंग से परिवार समेत विगत 50 वर्षो पूर्व रहते आ रहे है एवं मौजा प्रधान अनपा किस्कु के द्वारा स्व0 बेगु पंडित के नाम से लगान रसीद भी निर्गत करते आ रहे है। विपक्षी गरीव असहाय व भूमिहीन व्यक्ति थे जिसका मकान पूर्व में गंगा कटाव में गंगा के गर्भ में सिमट चुकी थी। विपक्षी घर विहिन गरीब व भूमिहीन होन के कारण सरकार के द्वारा जमीन देकर उक्त वर्णित जमीन में बसाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बसे हुए जमीन पर उच्छेद करना न्यायसंगत नही होगा।

अतः विपक्षी ने आवेदक के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किये है।

आवेदक ने दिनांक 02.05.2019 को एक उच्छेदी आवेदन दाखिल कर कहा कि

Scanned with CamScanner

मौजा कल्याणी न0 15 बंगला महराजपुर के ज0न0 15 दाग न0 452/234 रकवा 03–02–18 धूर जमीन खतियान में आवदेक के दादा दगुम मरांडी, धानु मरांडी वो चन्द्राय मरांडी पे0– कदरा मरांडी के नाम सं खतियान में दर्ज है। उक्त जमीन के आंशिक करवा 06 कट्ठा जमीन जिसकी चौहदी उत्तर–आवेदक का नीज, दक्षिण–बन्दोवास रैयत पूरव एन0एच0 रोड एवं पश्चिम–आवेदक का नीज जमीन को विपक्षीगण जबरन घेर कर घर बना लिया है। आवेदक के द्वारा जमीन खाली करने के लिए कहने पर विपक्षीगण मारपीट करने पर उतारु हो जाते है। विपक्षीगण के उपद्रव से उक्त दाग का पूरा जमीन बरबाद हो गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्र सं0 601/रा0, दिनांक 03.12.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा कल्याणी थाना न0 15 जमाबंदी न0 15 दाग न0 452/234 रकवा 03–02–18 धूर जमीन दगुम मरांडी वो धानु मरांडी वो चन्द्राय मरांडी पे कान्दना मरांडी वो कान्देना मरांडी वल्द निमाई मरांडी, सा0– देह खतियान में दर्ज है। जाँच के क्रम में विपक्षी द्वारा बिहार विशेषधिकृत व्यक्ति वा भूमि का पर्चा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो निम्न प्रकार है:–

1. बेगु पंडित पे0–स्व0 मुकु पंडित ज0न0 15 दाग न0 234 रकवा 00–02–16 धूर वासगीत पर्चा केश न0 122/74–75
2. रोमन पंडित पिता–स्व0 मकु पंडित ज0न0 15 दाग न0 234 रकवा 00–01–10 धूर वासगीत पर्चा केस न0 159/1974–75

एवं पंजी–II टिनेन्ट्स लेजर(Tenants Ladgers) के अवलोकन से पाया गया कि उक्त मौजा के ज0न0 15 दाग न0 234 रकवा 0.02 डीमील आसु पंडित पिता पंचु पंडित, वासगीत पर्चा केश न0 159/74–75 दर्ज है। इसके अलावे उक्त दाग न0 में अन्य नौ व्यक्तियों का वासगीत पर्चा प्राप्त है। जिसका नाम उक्त पंजी में दर्ज है। उक्त भूमि पर विपक्षी का वासेवास है। जिसका लगान इन लोगो के द्वारा दिया जा रहा है।

आवेदक के द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नही किया है।

विपक्षीगण ने अपने समर्थन में निम्न प्रकार का कागजात दाखिल किया है।

1. बिहार विशेषधिकृत व्यक्ति वास भूमि भू–धूति अधिनियम के अन्तर्गत मौजा कल्याणी खाता न0 15 खेसरा न0 234 रकवा 00–01–10 धूर एवं रकवा 00–02–16 धूर जमीन का वासगीत पार्चा की छाया प्रति।
2. प्रधान के द्वारा निर्गत पट्टा की छाया प्रति।
3. लगान रसीद की तीन छाया प्रति।

विपक्षी को सुनने, आवेदक के आवेदन पत्र एवं विपक्षी के द्वारा दाखिल कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने अपना दावा Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act 1947 (वासबीत) से प्राप्त बन्दोवस्ती के आधार पर दिखाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवाद अधिकार से संबधित है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत वाद के विवाद का हल सम्भव नही है।

अतएव इस वाद की कार्यवाही को बिना गुण दोष पर विचार किये समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner